





- 30. निर्धारित क्षेत्र में कमी होने वाले अन्तर्गत स्थायी जंगल को संरक्षित करना, जिसमें निर्धारित क्षेत्रों/सिमेंट क्षेत्रों-खंडों की अंतर्गत स्थायी जंगल क्षेत्रों/जंगल क्षेत्रों/सिमेंट क्षेत्रों का संरक्षण, विधायक की स्वीकृति के बाद।
- 31. स्थायी क्षेत्र में अस्थायी अन्तर्गत क्षेत्रों/जंगल क्षेत्रों की स्वीकृति का प्रमाण पत्र है। स्वीकृति के अंतर्गत स्थायी क्षेत्रों/खंडों का संरक्षण नहीं किया जाएगा।
- 32. स्थायी क्षेत्र में स्वीकृति के अंतर्गत क्षेत्रों/जंगल क्षेत्रों का संरक्षण।
- 33. स्थायी क्षेत्र में स्थायी/स्थायी क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्रों को स्थायी क्षेत्रों/खंडों का संरक्षण।
- 34. स्थायी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रों को स्थायी क्षेत्रों/खंडों का संरक्षण।
- 35. स्थायी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रों को स्थायी क्षेत्रों/खंडों का संरक्षण।
- 36. स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों की स्वीकृति के बाद स्थायी क्षेत्रों/खंडों का संरक्षण।
- 37. स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।

आज्ञा - स्थायी ( ) की

*[Signature]*  
 राज्य सरकार,  
 कानून एवं राजस्व विभाग,  
 बिलासपुर (उ.प्र.)

पृष्ठ संख्या / 7650 / दि. नं. / सं. 107 / पृष्ठ सं. / 2018  
 दि. नं. / सं. 107 / पृष्ठ सं. / 2018

बिलासपुर (उ.प्र.) *[Signature]*

- 1- स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।
- 2- स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।
- 3- स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।
- 4- स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।
- 5- स्थायी क्षेत्रों/खंडों/स्थायी क्षेत्रों का संरक्षण।

आज्ञा - स्थायी ( ) की

*[Signature]*  
 राज्य सरकार,  
 कानून एवं राजस्व विभाग,  
 बिलासपुर (उ.प्र.)